

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-29052025-263432  
SG-DL-E-29052025-263432असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24]	दिल्ली, मंगलवार, मई 27, 2025/ज्येष्ठ 6, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 69
No. 24]	DELHI, TUESDAY, MAY 27, 2025/JYAISTHA 6, 1947	[N. C. T. D. No. 69

भाग II—I  
PART II—Iराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 27 मई, 2025

सं. 31/ नियम/डीएचसी.—सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 129 तथा दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 (1966 का अधिनियम 26) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं इस निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय एतद् द्वारा, 'दिल्ली उच्च न्यायालय (ओरिजिनल साइड) नियम, 2018' में निम्नलिखित संशोधन करता है:—

दिल्ली उच्च न्यायालय (ओरिजिनल साइड) नियम, 2018 के अध्याय 1 के मौजूदा नियम 11 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

11. बैठने का समय—जब तक मुख्य न्यायाधीश द्वारा अन्यथा आदेश न दिया जाए, न्यायालय सभी कार्य-दिवसों में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक बैठेगा।

टिप्पणी: यह संशोधन राजपत्र में इसके प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगा।

न्यायालय के आदेशानुसार  
अरुण भारद्वाज, महानिबंधक

**HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI**

**NOTIFICATION**

Delhi, the 27th May, 2025

**No. 31/Rules/DHC.**—In exercise of the powers conferred by Section 129 of the Code of Civil Procedure, 1908 and Section 7 of the Delhi High Court Act, 1966 (Act 26 of 1966) and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of Delhi, hereby makes the following amendments in the Delhi High Court (Original Side) Rules, 2018: —

**The following shall be substituted for the existing Rule 11 of Chapter 1 of Delhi High Court (Original Side) Rules, 2018: —**

**11. Hours of Sitting**—Unless otherwise ordered by the Chief Justice, the Court shall hold its sitting on all working days from 10:30 a.m. to 1:30 p.m. and from 2:30 p.m. to 4:30 p.m.

**NOTE:** THIS AMENDMENT SHALL COME INTO FORCE FROM THE DATE OF ITS PUBLICATION IN THE GAZETTE.

By order of this Court  
ARUN BHARDWAJ, Registrar General